दूरसंचार विभाग
(कैरियर सेवाएं स्कंध)

स0 18-2/2008-सीएस-I   दिनांक 5 अगस्त, 2008

विषयः- अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी) श्रेणी की संशोधित निबंधन और शर्तें।

अन्य सेवा प्रदाता श्रेणी की मौजूदा निबंधन और शर्तों को आगे उदार बनाने का निश्चय किया गया है। अन्य सेवा प्रदाता श्रेणी की संशोधित निबंधन और शर्ते अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।

ओएसपी के पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र को भी सरल कर दिया गया है। मौजूदा प्रपत्रों की जगह संशोधित आवेदन प्रपत्र भी प्रपत्र-I के रूप में संलग्न है।

अनुलग्नकः उपरोक्तानुसार, अनुबंध-I एवं प्रपत्र- I

(शभू प्रसाद सिंह)
निदेशक (सीएस-I)

सेवा में,

उपमहानिदेशक (सी एण्ड ए)- अनुरोध है कि दूरसंचार विभाग की वेबसाइड WWW DOT gov in पर मौजूदा निबंधन एवं शर्तों एवं आवेदन प्रपत्र के स्थान पर संशोधित निबंधन एवं शर्ते (अनुबंध-I) एवं संशोधित आवेदन प्रपत्र (प्रपत्र- I) को दर्शाएं।

52

निबंधन और शर्तें - अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी) श्रेणी

अध्याय-I : प्रारंभिक

: परिभाषाएं

अध्याय-II : स्वदेशी अथवा अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी केन्द्र के लिए ओएसपी पंजीकरण हेतु सामान्य निबंधन और शर्तें

1. सामान्य शर्तें
2. पंजीकरण के निबंधन और शर्तें में परिशोधन
3. पंजीकरण के अंतरण पर प्रतिबंध
4. सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता
5. पंजीकरण का निलंबन, निरस्तीकरण अथवा परिसमापन
6. पंजीकरण के निरस्तीकरण के लिए की जाने वाली कार्रवाइयां

अध्याय-III स्वदेशी अथवा अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी केंद्र के लिए ओएसपी पंजीकरण हेतु तकनीकी शर्तें

1. ओएसपी प्रचालन के लिए निबंधन और शर्तें
2. ओएसपी केंद्र के आपदा प्रबंधन के लिए निबंधन और शर्तें
3. स्वदेशी ओएसपी के लिए विशिष्ट निबंधन और शर्तें
4. अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी के लिए विशिष्ट निबंधन और शर्तें

अध्याय iv स्वदेशी अथवा अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी केंद्र के बीच सामान्य अवसंरचना की साझेदारी के लिए ओएसपी पंजीकरण हेतु सामान्य निबंधन और शर्तें

1. सामान्य शर्तें
2. अवसंरचना और बैंक गांरटी की साझेदारी के लिए पंजीकरण की अवधि
3. अवसंरचना की साझेदारी के लिए पंजीकरण का विस्तार
4. अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी अथवा स्वदेशी ओएसपी के बीच अवसंरचना की साझेदारी के लिए तकनीकी निबंधन और शर्तें

(क) **विकल्पः**

एक ही प्रचालक पोजीशन की साझेदारी से अंतर्राष्ट्रीय और स्वदेशी ओसपी केंद्रों के लिए प्रयुक्त होने वाला पृथक और स्वतंत्र ईपीएबीएक्स

(ख) **विकल्प 2**

तर्कसंगत भागों में बांटकर सामान्य ईपीएबीएक्स की साझेदारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय और स्वदेशी ओएसपी केन्द्र

5. घर से काम

527

अध्याय- V **सुरक्षा शर्तें**

1. निरीक्षण का अधिकार
2. ओएसपी द्वारा कतिपय गतिविधियों की रोक
3. सुरक्षा शर्तें

अध्याय-vi **विविध**

1. सामान्य
2. पंचाट

अध्याय-I

प्रारंभिक

1. परिभाषाएं **इस भाग में, संदर्भ जब तक अन्यथा अपेक्षित न होः-**

(क) "अनुप्रयोग सेवाओं" का प्राधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त दूरसंचार संसाधनों का प्रयोग करके टेली बैंकिंग, टेली मेडिसिन, टेली-एजुकेशन, टेली-ट्रेडिंग, ई-कामर्स, कालसेंटर, नेटवर्क प्रचालन केंद्र और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाअं जैसी सेवाएं प्रदान करने से हैं।

(ख) "अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी) का तात्पर्य अनुप्रयोग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी से है।

(ग) "ओएसपी केंद्र" का अभिप्राय अनुप्रयोग सेवाएं प्रदान करने के लिए ओएसपी द्वारा प्रयुक्त भारत में किसी स्थान पर अवस्थित अवसंरचना से है।

(घ) "दूरसंचार संसाधन" का अभिप्राय ओएसपी द्वारा प्रयुक्त दूरसंचार सुविधाओं से है जिसमें भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अधीन वैध लाइसेंस रखने वाले प्राधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा प्रदत्त बैंड विड्थ और पब्लिक स्विच्ड टेलीकॉम नेटवर्क (पीएसटीएन), पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क (पीएलएमएन), इन्टीग्रटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क (आईएसडीएन) भी शामिल है परन्तु ये इन्ही तक सीमित नहीं है।

(ङ) "कंपनी" का अभिप्राय भारतीय कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कंपनी से है जिसमें विदेश विनिमय प्रबंधन विनियमन के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत विदेशी कंपनियों और भारत में किसी स्थान पर व्यवसाय संस्थापित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग- xi (धारा 591 से 608 तक) के अधीन पंजीकृत विदेशी कंपनियों भी शामिल हैं ।

(च) "स्वदेशी ओएसपी " का अभिप्राय राष्ट्रीय चौहद्दीयों के भीतर अनुप्रयोग सेवाएं प्रदान करने वाले ओएसपी से है।

(छ) "अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी " का अभिप्राय राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर अनुप्रयोग सेवाएं प्रदान करने वाले ओएसपी से ळै।

(ज) "पाइंट आफ प्रजेन्स (पीओपी) एक स्थान होता है जहां ओएसपी अनुप्रयोग सेवाओं से संबंधित दूरसंचार परियात के संकलन और संवहन के लिए ओएसपी केंद्र के विस्तार के रूप में कार्य करने के लिए उपस्कर रखता है।

(झ) "हाट साइट्स" का अभिप्राय दूरसंचार विभाग में विधिवत पंजीकृत या तो एक ही कंपनी के अथवा किसी तीसरी पार्टी के स्टैण्डबाई ओएसपी केंद्र से है जिसे लगातार अद्यतन किया जाता है और वह किसी आपदा अथवा प्रचालन बाद हो जाने की स्थिति में कार्यरत ओएसपी केंद्र के प्रचालन को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार रहता है।

(यं) "प्राधिकरण का अभिप्राय दूरसंचार विभाग अथवा इसका निर्दिष्ट क्षेत्रीय यूनिटों (बीटीएस यूनिटों) से हैं।

अध्याय-II

स्वदेशी अथवा अंतर्राष्ट्रीय ओएसपी केंद्र के लिए ओएसपी पंजीकरण हेतु सामान्य निबंधन और शर्तें

1. सामान्य शर्तें

(1) अनुप्रयोग सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भी कंपनी को पंजीकरण की मंजूरी दी जा सकती है। ये सेवा प्रदाता अन्य प्राधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करेंगे और स्विच्ड टेलीफोनी सेवा प्रदान नहीं करेंगे।

(2) पंजीकरण चाहने वाले ओएसपी पर निम्नलिखित भी लागू होः-

(I) ओएसपी पंजीकरण के लिए पात्र निकायों को कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत कंपनी होना अनिवार्य है।

(II) कंपनी प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये प्रपत्र में पंजीकरण के लिए प्राधिकरण को आवेदन पत्र दे सकती है। (प्राधिकारियों की सूची आवेदन पत्र के प्रपत्र के साथ संलग्न है)।

(III) प्रस्तुत किये जाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

(क) अनिवार्य दस्तावेज

(I) कंपनी के पंजीयक द्वारा जारी किया गया निगमन प्रमाण पत्र

(2) संगम अनुच्छेद और ज्ञापन

(3) बोर्ड का संकल्प अथवा सत्यापित हस्ताक्षर के साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को प्राधिकार देने वाला पाव आफॅ अटार्नी

(4) प्रस्तावित ओएसपी के व्यवसाय और कार्यकलापों के स्वरूप पर टिप्पणी

(ख) यदि अनिवार्य दस्तावेजों से वास्तविक सूचना भिन्न है तो उसके दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है।

5. कंपनी के वर्तमान निदेशकों की सूची

6. इक्विटी ब्यौरों (विदेशी इक्विटी और भारतीय इक्विटी) को दर्शाते हुए कंपनी की वर्तमान शेयरधारिता का पैटर्न ।

सभी दस्तावेजों का कंपनी सचिव अथवा कंपनी के निदेशक मंडल के किसी एक निदेशक अथवा सांविधिक लेखा परीक्षक अथवा पब्लिक नोटरी से मुहर के साथ प्रस्तावित होना अनिवार्य है।

(iv) पंजीकरण स्थान विशेष का होता है जिससे कंपनी के पास एक से अधिक पंजीकरण हो सकते हैं। ओएसपी केंद्र के स्थान में परिवर्तन की स्थिति में मूल पंजीकरण में संशोधन करना अपेक्षित होगा।

(v) बहु-पंजीकरण हेतुः-

(क) आवेदक कंपनी को बीटीएम/डॉट (मुख्यालय) के अपने उस नजदीकी यूनिट को आवेदन पत्र देना होगा जहां ओएसपी का एक साइट अवस्थित होना प्रस्तावित है।

(ख) पहले स्थान के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात ओएसपी शेष साइटों के लिए अन्य संबंधित निर्दिष्ट प्राधिकारियों को आवेदन-पत्र दे सकता है। ऐसे मामलों मों ओएसपी द्वारा पहले साइट के लिए प्राप्त ओएसपी पंजीकरण की केवल प्रतिलिपि और कंपनी के पंजीयक द्वारा जारी किये गये निगम के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होती है यदि इस प्रकार का अनुरोध ओएसपी द्वारा एक वर्ष के भीतर किया जाता है और पूर्व वर्ती प्रस्तुत दस्तावेंजों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक वर्ष के पश्चात दस्तावेजों का एक पूरा सेट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

(vi) यदि ओएसपी प्वाइंट आफ प्रजेन्स (पीओपी) में कोई परिवर्तन कराने अथवा कोई अन्य पीओपी और स्थापित कराने का प्रस्ताव देता है तो ओएसपी द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराना होगा ।

(vii) पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण करने वाले प्राधिकरण के संबंधित लेखा अधिकारी के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 1000/- रूपये का प्रक्रमण शुल्क देय होता है।

(viii) पंजीकरण की वैधता अवधि इसके जारी होने की तारीख से 20 वर्ष तक की होगी, जब तक कि पंजीकरण पत्र में अन्यथा उल्लिखित न हो।

(ix) यदि उचित समझा जाए तो पंजीकरण की वैधता अवधि में विस्तार किया जा सकता है, यदि ओएसपी पारस्परिक सहमत शर्तो के आधार पर पंजीकरण वर्ष के 19 वें वर्ष के दौरान अनुरोध करता है तो उस पर पंजीकरण की अवधि एक ही बार 10 वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है। अवधि विस्तार की मंजूरी के संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

(x) जैसा कि पंजीकरण के समय प्रस्तुत प्रपत्र में बताया गया है, यदि कंपनी के नाम अथवा पते में कोई परिवर्तन किया जाता है तो ओएसपी इसके समर्थन में दस्तावेज के साथ इसकी सूचना प्राधिकरण को देगी।

2. पंजीकरण के निबंधन और शर्तों में आशोधन

पंजीकरण के निबंधन और शर्तों में किसी भी समय आशोधन करने का अधिकार प्राधिकरण के पास सुरक्षित है यदि प्राधिकरण के विचार में जनहित में अथवा राष्ट्र की सुरक्षा के हित में अथवा तार सेवा के समुचित संचालन के लिए ऐसा करना समीचीन हो, आवश्यक हो। इस संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और बाध्यकारी होगा।

3. पंजीकरण के अंतरण पर प्रतिबंध

ओएसपी जैसाकि नीचे वर्णित है, प्राधिकरण की पूर्व लिखित सहमति के बिना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से चाहे जो भी हो, इस पंजीकरण का अंतरण अथवा सुपुर्दगी, किसी तीसरे पक्षकार को अथवा उप पट्टा के लिए कोई करार सम्पन्न नहीं करेगा और/अथवा किसी तीसरे पक्षकार के सम्पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से पंजीकरण के किसी भी विषयवस्तु से संबंधित सहभागिता नहीं करेगा अर्थात् उप-पट्टा/सहभागिता/तीसरा पक्षकार का हित सृजित नहीं होगा। शर्त यह है कि ओएसपी सेवा प्रदान करने के लिए सर्वदा ऐजेन्टों और कर्मचारियों के रोजगार पर रख सकता है अथवा नियुक्त कर सकता है।

4. सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता

(i) ओएसपी समय-समय पर निर्धारित नियमों/आदेशों के अनुसार सिस्टम पासवर्डों सहित अन्य सूचना अथवा लेखा, प्राक्कलन, विवरणी, रिपोर्ट जैसे दस्तावेज समयबद्व कार्यक्रम और तरीके से मांग पर प्राधिकरण को उपलब्ध करायेगा।

(II) ओएसपी पंजीकरण करने वाले प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष पूरा होने के छह माह के भीतर निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें उसे चल रहे अपने ओएसपी प्रचालन की स्थिति और पिछले वित्तीय वर्ष के कार्यकलापों का ब्यौरा दर्शाना होगा। प्रचालनात्मक ओएसपी को सक्रिय ओएसपी सूची में रखा जाएगा। लगातार तीन वर्षो तक वार्षिक विवरण न प्रस्तुत करने वाले ओएसपी को निष्क्रिय सूची में रखा जाएगा और दो वर्षो तक निष्क्रिय सूची में रखने के प्रश्चात उनकापंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार की सूची दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कर दी जाएगी।

5. पंजीकरण का निलबंन, निरस्तीकरण अथवा परिसमापन

(i) प्राधिकरण के पास इस पंजीकरण के प्रचालन को किसी भी समय निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित है, प्राधिकरण के विचार में जनहित में अथवा राष्ट्र की सुरक्षा के हित में अथवा तार सेवा के समुचित संचालन में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन हो। यदि ऐसी स्थिति आती है तो ओएसपी के टिप्पणियां मांगने के लिए उसे नोटिस जारी करना प्राधिकरण के लिए आवश्यक नहीं होगा और प्राधिकरण का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(ii) शर्त यह है कि पूर्वोक्त कार्रवाई के कारण अथवा उससे हुई किसी क्षति अथवा हानि के लिए प्राधिकरण जिम्मेवार नहीं होगा। यह भी शर्त है कि पंजीकरण का निलंबन पंजीकरण की अवधि के विस्तार का कारण अथवा आधार नहीं होगा और निलंबन अवधि को बीती अवधि के रूप में माना जाएगा।

(iii) ओएसपी, प्राधिकरण को नोटिस देकर पंजीकरण को वापस कर सकता है।

(iv) पंजीकरण शर्तों को पूरा करने की स्थिति भंग हो जाने की जानकारी प्राधिकरण को शिकायतों के माध्यम से अथवा नियमित निगरानी के फलस्वरूप आ सकती है। प्राधिकरण जब भी उपयुक्त समझे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ओएसपी द्वारा पंजीकरण के निबंधन और शर्तो के अनुपालन की स्थिति भंग हुई है, तो स्वतः अथवा शिकायत के आधार पर जांच करा सकता है और इस जांच के आधार पर ओएसपी सभी तर्कसंगत सुविधाओं का विस्तार करेगा और हर किस्म की रूकावटों को दूर करने का प्रयास करेगा

6. **पंजीकरण का निरस्तीकरण करने हेतु अनुवर्ती कार्रवाइयां**

(i) यदि पंजीकरण करार के अधीन, कोई ऐसा ठोस कारण पाया जाता है जिससे प्राधिकरण को पंजीकरण करार को निरस्त करने के लिए प्राधिकरण को अधिकार मिलता हो तो प्राधिकरण करार में प्रदत्त निबंधन और शर्तों के अनुसार ही कार्रवाई करेगा ।

(ii) पंजीकरण के निरस्त होने अथवा वापस हो जाने अथवा वैध अवधि समाप्त हो जाने पर ओएसपी को बैंक गांरटी की राशि ओएसपी द्वारा प्राधिकरण को भुगतान किये जाने वाले सभी देयताओं की बेबाकी सुनिश्चित हो जाने के पश्चात ही निर्मुक्त्त की जाएगी। प्राधिकरण को देय शक्तियों का भुगतान ओएसपी द्वारा न कर पाने के मामले में ओएसपी को कोई और सूचना दिए बिना प्राधिकरण को देय राशियों की वसूली के लिए कोई अन्य कार्रवाई/कार्रवाइयां करने के संबंध मों बिना किसी पूर्वाग्रह के बकाया धनराशि बैंक गांरटी के नकदीकरण के माध्यम से वसूली जाएगी ।

अध्याय-III

घरेलू या अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केन्द्र के ओएसपी पंजीकरण हेतु तकनीकी शर्तें

1. ओएसपी प्रचालन हेतु शर्तें

(I) ओएसपी प्राधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाता से ही दूरसंचार संसाधन प्राप्त करेगा।

(2) प्राधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाता ओएसपी द्वारा स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित नेटवर्क के नेटवर्क डायग्राम की जांच कर लेने तथा इसका सही उपयोग सुनिश्चित कर लेने के बाद ही ओएसपी को संसाधन उपलब्ध कराएगा। ओएसपी वीटीएम प्रकोष्ठों को रिकॉर्डों एवं सत्यापन हेतु दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा अनुमत नेटवर्क डायग्राम की प्रति प्रस्तुत करेगा।

(3) प्राधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाता तथा ओएसपी दोनों दूरसंचार संसाधनों के उपयोग में शर्तों के उल्लंघन के प्रति उनके संबंधित लाइसेंस/पंजीकरण की शर्तों के अनुसार उत्तरदायी होंगे।

(4) ओएसपी प्राधिकृत इंटरनेट सेवा प्रदाता से इंटरनेट पर्कता प्राप्त कर सकता है।

(5) ओएसपी को अनुमति प्राप्त है कि वह उसी कंपनी या कंपनी समूह की अन्य गतिविधियों के साथ दूरसचार बैंडविद्थ का साझा उपयोग करें। तथापि, ओएसपी यह सुनिश्चित करेगा कि ओएसपी के लिए दूरसंचार संसाधनों तथा उनकी अन्य गतिविधियों के लिए दूरसंचार संसाधनों के बीच तार्किक भेद होगा। उनके बीच कोई वॉइस/नॉन-वाईस परियात प्रवाह नहीं होगा।

(6) घरेलू ओएसपी के साथ अंतरराष्ट्रीय ओएसपी की अंतसपर्कता की अनुमति नहीं है।

2. ओएसपी केन्द्र के आपदा प्रबंधन की शर्तें

(1) घरेलू ओएसपी को अनुमति है कि वे पंजीकृत "हॉट साइटों" पर उपलब्ध समर्पित सर्वरों से केवल आपदा के समय ही प्राधिकरण को विधिवत सूचना, संपर्कता ब्यौरे को उल्लिखित करते हुए, देकर संयोजित हो सकते है। अंतरराष्ट्रीय ओएसपी के लिए भी ऐसी व्यवस्थाओं की अनुमति है। तथापि, घरेलू ओएसपी एवं अंतरराष्ट्रीय ओएसपी के हॉट साइटों के बीच कोई अंतर्संपर्क नहीं होगा।

(2) उसी कंपनी के घरेलू ओएसपी केंद्रों को आपदा के दौरान उपयोग हेतु सीटों को क्रॉस मैप करने की अनुमति होती है तथा वह प्राधिकारी को इस संबंध में सूचित करेगा।

(3) उसी कंपनी के अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केंद्रों के बीच उपयुक्त 2(2) जैसी व्यवस्थाओं की अनुमति होगी।

3. घरेलू ओएसपी के लिए विनिर्दिष्ट शर्तें

(1) घरेलू ओएसपी को उसी ईपीएबीएक्स पर आउटगोइंग सुविधा वाले पीएसटीएन/पीएलएमएन कनेक्शन को टर्मिनेट करने की अनुमति होगी तथा ऐसी पीएसटीएन/पीएलएमएन लाइनों का उपयोग सामान्य एनएलडी नेटवर्क के ही माध्यम से कॉल करने के लिए किया जाएगा तथा इससे किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक (एनएलडीओ) के न्यायाधिकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इन सुविधाओं के पृथक्करण को सुनिश्चित करने के लिए तार्किक विभाजन होगा। इनकी उसी केंद्र पर अन्य संपर्कता हो सकती है जैसे-लीज सर्किट एवं आभासी निजी नेटवर्क (वीपीएन)। तथापि, इन पीएसटीएन लाइनों एवं लीज्ड लाइनों के बीच कोई कॉल प्रवाह नहीं होगा।

(2) एक ही कंपनी या कंपनियों के समूह को दो या दो से अधिक ओएसपी केंद्रों की अंतर्संपर्कता की अनुमति होगी।

(3) घरेलू ओएसपी को घरेलू लीज्ड सर्किटों के बैकअप के प्रयोजनार्थ ही एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क(आईएसडीएन) कनेक्शनों को उपयोग करने की अनुमति होगी।

(4) प्राधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह आवधिक रूप से लेखा-परीक्षा कराए। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि किन्हीं शर्तों का उल्लघंन हुआ है, तो उसे यह अधिकार होगा कि वह प्रतिभूति जमा को जब्त करने तथा/या पंजीकरण को रद्द करने सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई कर सके।

4. अंतरराष्ट्रीय ओएसपी के लिए विनिर्दिष्ट शर्तें

(1) भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय ओएसपी को किसी भी प्रकार की पीएसटीएन संपर्कता की अनुमति नहीं होगी। बाह्य देशों की ओर से अंतर्गामी एवं निर्गामी-दोनों प्रकार के कॉलों की सुविधाओं वाले पीएसटीएन संपर्कता की अनुमति नहीं होगी।

(2) एक ही कंपनी या कंपनियों के समूह के दो या दो से अधिक अंतरराष्ट्रीय ओएसपी की अंतर्संपर्कता, ऐसे अंर्तसंपर्क के 15 दिनों की अवधि के भीतर पंजीयन प्राधिकारी को तत्संबंधी सूचना देने पर, की अनुमति होंगी।

534

अध्याय IV

अंतरराष्ट्रीय ओएसपी एवं घरेलू ओएसपी के बीच अवसंरचना की साझेदारी हेतु ओएसपी पंजीकरण की शर्तें

1. सामान्य शर्तें

घरेलू ओएसपी एवं अंतरराष्ट्रीय ओएसपी द्वारा अवसंरचना की साझेदारी के लिए प्राधिकारी का पूर्व लिखित अनुमोदन अपेक्षति होगा। ऐसे पंजीकरण की मंजूरी निम्नलिखित शतो को पूरा किए जाने के बाद दी जा सकती हैः-

(क) घरेलू ओएसपी केंद्र और अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केंद्र एक ही कंपनी से संबद्व होंगे।

(ख) ओएसपी कम-से-कम 50 सीटों वाले कॉल सेंटर की स्थापना करेगा।

(ग) ओएसपी किसी भी व्यक्ति, जिसमें इसके कर्मचारी भी शामिल हैं लेकिन सिर्फ वे ही शामिल नहीं हैः, के द्वारा ओएसपी की शर्तो का किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होगा।

(घ) प्राधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह आवधिक रूप से लेखा परीक्षा करा सके।

(ड.) यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि शर्तों का उल्लंघन हुआ है, इसके पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह प्रतिभूति जमा को जब्त करने तथा/या ओएसपी द्वारा धारित पंजीकरण को रद्द करने सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई कर सके तथा इस कंपनी को ऐसे पंजीकरण के रद्द किए जाने की तिथि से 3वर्ष की अवधि के लिए ओएसपी पंजीकरण से वंचित कर दिया जाएगा।

2. बैंक गांरटी एवं अवसंरचना की साझेदारी हेतु पंजीकरण की अवधिः-

(क) यह पंजीकरण प्रभावी तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, यदि यह किन्हीं कारणों से पहले ही रद्द नहीं कर दिया जाए जैसा कि दस्तावेज में अन्यत्र उल्लिखित है।

(ख) कंपनी ऐसे पंजीकरण की निर्धारित अवधि के लिए, इस अध्याय के मद संख्या 4(क) के अंतर्गत विकल्प 1 के लिए 50 लाख रू. तथा इस अध्याय के मद संख्या 4(ख) के अंतर्गत विकल्प 2 के लिए 1 करोड रू. की प्रतिभूति जमा को बैंक गांरटी के रूप में विशिष्ट आरूप में प्राधिकारी के पक्ष में जमा करेगी। साथ ही, कंपनी प्राधिकारी के साथ विहित आरूप में करार पर हस्ताक्षर करेगी।

(ग) पंजीकरण की शर्तों के अनुपालन में किसी प्रकार की चूक होने पर प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह बैंक गांरटियों का भूना सके तथा अपनी लागत एवं जोखिम पर ओएसपी को हवाला दिए बिना इसे नकद प्रतिभूति में परिवर्तित करा सके। प्राधिकारी द्वारा नकदीकरण की इस प्रकिया के बाद किसी प्रकार के ब्याज या प्रतिकर, जो भी हो, का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(घ) किसी अन्य प्रतिविधान संबंधी इसके अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकारी ओएसपी द्वारा पंजीकरण की शर्तों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में प्रतिभूति जमा को जब्त कर सकता है तथा बैंक गांरटी को भूना सकता है।

3. **अवसंरचना की साझेदारी हेतु पंजीकरण की अवधि में विस्तार**

(क) ऐसी सुविधा के पंजीकरण की अवधि 3 वर्ष की होगी। इस अवधि के समाप्त हो जाने पर इसे पुनः अधिकतम 3 वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकता है।

(ख) पंजीकरण की अवधि का विस्तार 3 वर्ष से अधिक करने के लिए, ओएसपी इस अवधि में विस्तार सहित अवधि समाप्त होने के 60 दिन पूर्व बैंक गांरटी की विस्तारित वैधता अवधि के लिए अनुरोध करेगा, ऐसा नहीं किए जाने पर पंजीकरण बिना नोटिस के ही व्यपगत हो जाएगा।

(ग) प्राधिकारी का निर्णय अवधि के विस्तार की मंजूरी हेतु अंतिम होगा।

4. **अंतरराष्ट्रीय ओएसपी एवं घरेलू ओएसपी के बीच अवसंरचना की साझेदारी हेतु तकनीकी शर्तें**

(क) **विकल्प-1**

(एक ही प्रचालक की स्थिति की साझेदारी वाले अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू ओएसपी केंद्रों के लिए पृथक एवं स्वतंत्र ईपीएबीएक्स का उपयोग किया जाना)

1. अंतरराष्ट्रीय ओएसपी एवं घरेलू ओएसपी की अंतर्संपर्कता की अनुमति नहीं है।

2. घरेलू ओएसपी केंद्र एवं अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केंद्र का गैर-साझाकृत पृथक एवं स्वतंत्र ईपीएबीएक्स होगा, लेकिन उनकी साझा प्रचालक स्थिति हो सकती है।

3. ओएसपी यह सुनिश्चित करेगा कि एक समय में सिर्फ एक ही कॉल को प्रचालक तक भेजा जा सकता है, चाहे यह घरेलू या अंतरराष्ट्रीय, इनकमिंग या आउटगोइंग कॉल हो।

4. घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केंद्रों के बीच किसी वॉइस परियात का प्रवाह नहीं होगा तथा/यह इससे प्राधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क का बाईपास नहीं होगा।

5. ओएसपी यह सुनिश्चित करेगा कि सिस्टम लॉग हस्तक्षेप-सह है तथा सिस्टम लॉग को कम-से-कम छः महीनों के लिए संरक्षित किया जाता है। प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह इन सिस्टम लॉग का मांग कर सके तथा साइट पर उनकी निरीक्षण कर सके।

(ख) विकल्प-2

(अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू ओएसपी केंद्रों के द्वारा तार्किक विभाजन वाले साझा ईपीएबीएक्स का साझेदारी करना)

1. घरेलू ओएसपी के साथ अंतरराष्ट्रीय ओएसपी की अंतर्संपकता की अनुमति नहीं है।

2. कंपनी उपस्कर विक्रेताओं से प्राप्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगी कि सॉफ्टवेयर घरेलू ओएसपी एवं अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केंद्रों के लिए दो पृथक एवं स्वतंत्र परिवेशों में साझा अवसंरचना का तार्किक विभाजन करने के लिए सक्षम है।

3. कंपनी घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय अनुप्रयोगों की गतिविधियों के बीच पूर्ण तार्किक पृथक्करण को सुनिश्चित करेगी। घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय केंद्रों के बीच किसी वॉइस परियात का प्रवाह नहीं होगा तथा/या इससे प्राधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क का बाइपास नहीं होगा।

4. ओएसपी यह सुनिश्चित करेगा कि सिस्टम लॉग हस्तक्षेप-सह है तथा सिस्टम लॉग को कम-से-कम छः महीनों के लिए संरक्षित किया जाता है। प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह इन सिस्टम लॉग की मांग कर सके तथा साइट पर इनकी निरीक्षण कर सके।

5. **घर से कार्य करना**

विस्तारित एजेंट अवस्थिति (घर से कार्य करना) की अवधारणा की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन दी जा सकती है:-

(I) ओएसी प्रचालक करार के साथ 5 करोड रू. की प्रतिभूति जमा करेगा, जिसमें यह परिकल्पित होगा कि गृह एजेंट के अनन्य उपयोग, ओएसपी द्वारा धारित सभी उत्तरदायित्व इत्यादि जैसे कतिपय दायित्वों को पूरा किया जाए।

(II) गृह पर एजेंट को कॉल एजेंट की विस्तारित एजेंट अवस्थिति के रूप में समझा जाएगा तथा अंतर्संपर्कता की अनुमति प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं व्यवस्थित(सुरक्षित) वीजीएन के माध्यम से होगी, जिसकी पूर्व-निर्धारित अवस्थितियां जैसे एजेंटों का गृह एवं ओएसपी केंद्र जैसी वीपीएन साइटें होंगी। पीपीवीपीएन के अतिरिक्त, ओएसपी अपनी स्वयं की सुरक्षा तंत्र जैसे प्रमाणीकरण, प्राधिकरण एवं लेखाकरण का उपयोग कर सकता है। गृह सुविधा से ऐसा कार्य ओएसपी केंद्र के एसएसए एवं समीपवर्ती एसएसए तक सीमित होगा।

(III) प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे प्रतिष्ठानों के आवधिक/औचक निरीक्षण कराएं।

अध्याय- V

सुरक्षा संबंधी शर्तें

1. निरीक्षण का अधिकार

(i) प्राधिकारी अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सेवा प्रदान करने हेतु प्रयुक्त स्थलों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा और विशेष रूप से किन्तु जो इस तक ही सीमित नहीं होंगे, लीज्ड लाइनों, जक्शनों, समापन इंटरफेसों, हार्डवेयर/साफ्टवेयर, सेमीकडंक्टरों की मेमोरी, चुबम्कीय और ऑप्टिकल किस्मों, वायर्ड या बेतार विकल्पों, वितरण ढांचों तक अभिगम करने और इनपुट/आउटपुट यन्त्रों/टर्मिनलों के माध्यम से प्रणाली के साथ सम्पर्क स्थापित करने सहित निष्पादन संबंधी परीक्षण संचालित करने का अधिकार होगा। ओएसपी प्रणाली की सतत निगरानी के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी जैसाकि प्राधिकारी या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) द्वारा मांग की जाए। सामान्यतः उपयुक्त नोटिस देने के बाद निरीक्षण किया जाएगा, नोटिस उन स्थितियों में देने की जरूरत नहीं है जिससे निरीक्षण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाए।

(ii) यह पता लगाने के लिए कि ओएसपी ने पंजीकरण की शर्तों के अनुपालन में कोई उल्लंघन किया है, प्राधिकारी जब भी उपयुक्त समझे स्वैच्छा से या शिकायत प्राप्त होने पर कोई भी जांच कर सकता है और ओएसपी ऐसी जांच में बिना किसी व्यवधान के सभी समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

2. ओएसपी को कतिपय कार्यकलापों के लिए निषेध करना :

(i) ओएसपी इस पंजीकरण के बल पर ऐसी अन्य कोई सेवा प्रदान करने का कार्य नहीं करेगा जिनके लिए पृथक लाइसेंस/अनुमति की आवश्यकता है।

(ii) ओएसपी देश के स्थापित कानूनों के अनुरूप नेटवर्क पर किसी भी रूप में आपत्तिजनक, अश्लील, अप्राधिकृत अथवा कोई अन्य विषय वस्तु, संदेश या संचार जो कॉपीराइट या बौद्धिक सम्पदा इत्यादि का उल्लंघन करता हो, पर रोक लगाने के लिए आवश्यक उपाय करेगा। जैसे ही प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ऐसे उल्लंघनों के विशिष्ट दृष्टातों की सूचना दी जाती है, ओएसपी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके नेटवर्क पर ऐसी सामग्री का संवहन तत्काल रोका जाए।

3. सुरक्षा संबंधी शर्तें

(i) ओएसपी, प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को मांग पर तकनीकी छानबीन और निरीक्षण के लिए अपने उपस्करों पर पूर्ण अभिगम उपलब्ध कराएगा जो दृश्य निरीक्षण या प्रचालन निरीक्षण हो सकता है।

(ii) ओएसपी यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी उपस्कर संस्थापनाएं सुरक्षा की दृष्टि से कोई खतरा नहीं है और किसी संविधि, नियम या विनियम और लोक नीति के विरूद्ध नहीं है।

(iii) ओएसपी को, सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जब कभी ऐसा करना अपेक्षित हो, विशिष्ट अवधि में प्रणाली द्वारा निपटाई गई सभी विशिष्ट कॉलों का कॉल डाटा रिकार्ड उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा।

अध्याय - VI

विविध

1. सामान्य

(1) ओएसपी उन सभी शर्तों का अनुपालन करेगा जो प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर लगाई जाएंगी।

(2) ओएसपी किसी के द्वारा उपर्युक्त नियमों के किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होगा और यह इसके कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं होगा। ओएसपी दी गई सूचना की सटीकता के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(3) प्राधिकारी को पंजीकरण के रद्दकरण सहित किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए समुचित कार्रवाई करने का अधिकार है।

2. विवाचन

(1) इस पंजीकरण के तहत अथवा इसके संबंध में किसी प्रकार का प्रश्न, विवाद अथवा मतभेद, उस मामले को छोड़कर जिसके निर्णय का इस पंजीकरण के तहत अन्यत्र विशिष्ट रूप से प्रावधान किया गया है, उत्पन्न हो जाने की स्थिति में उसे प्राधिकारी द्वारा नियुक्त और नामित एकमात्र माध्यस्थम को भेजा जाएगा और जिसे इसके बाद "माध्यस्थम अधिकरण" कहा जाएगा जो उपर्युक्त विवाद के समाधान के लिए सुविवेचित निर्णय देगा।

(2) माध्यस्थम की कार्रवाई का स्थान नई दिल्ली होगा या माध्यस्थम अधिकरण द्वारा निर्धारित भारत में कोई भी स्थान हो सकता है।

(3) भारतीय माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंधों तथा इसके तहत बनाए गए नियमों या समय-समय पर इसमें किए गए किसी प्रकार के संशोधनों अथवा पुनः अधिनियम के अनुसार माध्यस्थम की कार्रवाई की जाएगी।

ओएसपी केन्द्र के पंजीकरण हेतु आवेदन

क. आवेदक का संक्षिप्त विवरण

1 आवेदक कंपनी का नाम		
2.पंजीकृत कार्यालय का पता		
टेलीफोन :		
फैक्स :		
ई-मेल		
		वेबसाइट
3. निगमित कार्यालय का पता		
टेलीफोन :		
फैक्स :		
ई-मेल		वेबसाइट
4 प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम :		
पत्राचार के लिए पूरा पता :		
टेलीफोन नं :		
फैक्स		
ई-मेल		
कंपनी/समूह कंपनी का वर्तमान कार्यकलाप		

ख. वर्तमान प्रस्ताव (कृपया प्रत्येक ओएसपी केन्द्र के लिए अलग से कागज लगाएं)

केन्द्र की किस्म (कृपया किसी एक को चिह्नित करें)

अन्तर्राष्ट्रीय ओएसपी केन्द्र	**घरेलू ओएसपी केन्द्र**

कार्यकलाप का प्रकार (कृपया किसी एक को चिह्नित करे)

व्हीकल ट्रैकिंग केन्द्र	**विलिंग सेवा केन्द्र**	**ई. प्रकाशन केन्द्र**
मेडिकल ट्रांसक्रिप्सन सेवा	**वित्तीय सेवा**	**केपीओ**
टेलीट्रेडिंग	**टेली मेडिसिन**	**टेली एजुकेशन**
नेटवर्क प्रचालन केन्द्र	**कोई अन्य (कृपया प्रस्तावित केन्द्र के स्वरूप के बारे में एक आलेख संलग्न करें)**	

1. प्रस्तावित केन्द्र के स्थान का पता	
2. सीटों की संख्या	
3. ग्राहकों का ब्यौरा (नाम, पता और कारोबार का स्वरूप)	

4. प्रस्तावित केन्द्र से विदेशी/स्थानीय छोर पर अवस्थित पीओपी तक बैडविड्थ कनेक्टिविटी का ब्यौरा (प्वांइट ऑफ प्रेंजेस विदेशी/स्थानीय छोर पर ग्राहक की अवस्थिति है जहां ग्राहकों के दूरसंचार परियात को संगृहीत कर प्राधिकृत सेवा प्रदाता से ली गई दूरसंचार बैंडविड्थ पर भारतीय छोर (ओएसपी केन्द्र) तक लाया जाता है)।
(सभी बैंडविड्थ सेवा प्रदाताओं से ही लिए जाने हैं)

	प्रस्तावित ओएसपी केन्द्र का पता संबंधी ब्यौरा (भारतीय छोर का पता) उपर्युक्त ख1 के अनुसार **छोर क**	विदेशी/स्थानीय छोर की पीओपी का पता **छोर ख**	मौजूदा बैंडविड्थ यदि कोई हो **एक्स**	अनुरोध की गई नई बैंडविड्थ कनेक्टिविटी/अतिरिक्त कनेक्टिविटी **वाई**	कुल बैंडविड्थ (प्राधिकृत सेवा प्रदाता से प्राप्त) **एक्स + वाई**
(i)					

5. क्या प्रस्तावित ओएसपी केन्द्र की डाटा कनेक्टिविटी ग्राहक के किसी अन्य डाटा केन्द्र तक होगी ? यदि हाँ, तो कनेक्टिविटी का ब्यौरा, पता इत्यादि बताएं।(सभी बैंडविड्थ प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं से ही लिए जाने हैं)

	प्रस्तावित ओएसपी केन्द्र का पता संबंधी ब्यौरा (भारतीय छोर का पता) उपर्युक्त ख1 के अनुसार **छोर क**	ग्राहक की डाटा केन्द्र की अवस्थिति का पता जहां कनेक्टिविटी अपेक्षित है **छोर ख**	मौजूदा बैंडविड्थ यदि कोई हो **एक्स**	अनुरोध की गई नई बैंडविड्थ कनेक्टिविटी/अतिरिक्त कनेक्टिविटी **वाई**	कुल बैंडविड्थ (प्राधिकृत सेवा प्रदाता से प्राप्त) **एक्स+ वाई**
(i)					

6. **पीएसटीएन कनेक्टिविटी का ब्यौरा** (केवल घरेलू ओएसपी हेतु)		
घरेलू कॉल सेंटर पर प्रस्तावित पीएसटीएन/पीएलएमएन लाइनों की सं0		
क्या इन पीएसटीएन लाइनों पर केवल इनकमिंग सुविधा होगी ?	हां	नहीं

7. क्या प्रस्तावित केन्द्र किसी अन्य कंपनी/समूह कंपनी के ओएसपी केन्द्र से अतर्संयोजित होगी ? यदि हां, तो कनेक्टिविटी का ब्यौरा, पता इत्यादि बताएं । (सभी बैंडविड्थ प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं से ही लिए जाने हैं)

	प्रस्तावित ओएसपी केन्द्र का पता संबंधी ब्यौरा **छोर क**	कंपनी/समूह कंपनी के अन्य ओएसपी केन्द्र को अनुरोध की गई कनेक्टिविटी (स्थान का पता और पंजीकरण संख्या) **छोर ख**	मौजूदा बैंडविड्थ यदि कोई हो **एक्स**	अनुरोध की गई नई बैंडविड्थ कनेक्टिविटी **वाई**	कुल बैंडविड्थ (प्राधिकृत सेवा प्रदाता से प्राप्त) **एक्स + वाई**
(i)					

8. क्या प्रस्तावित केन्द्र कंपनी/तीसरे पक्ष के किसी हॉट साइट केन्द्र से अतर्संयोजित होगी ? यदि हां, तो कनेक्टिविटी का ब्यौरा, पता इत्यादि बताएं।

	छोर क का पता संबंधी ब्यौरा	**छोर ख** का पता संबंधी ब्यौरा	मौजूदा बैंडविड्थ	नई बैंडविड्थ	कुल बैंडविड्थ
(i)					

9. क्या प्रस्तावित केन्द्र के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी ? यदि हां, तो कनेक्टिविटी का ब्यौरा दें।

टिप्पणी : कंपनी केवल प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं से ही इंटरनेट कनेक्शन लेगी तथा यह आईएलपी अथवा प्राधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा दी गई अनुमति की सीमा तक ही इंटरनेट टेलीफोन का उपयोग करेगी जैसा कि वेवसाइट अर्थात WWW. dot. gov. in पर उपलब्ध "इंटरनेट युक्त टेलीफोन" के लाइसेंस करार के खंड 1.14 में उल्लेख किया गया है।
(सभी बैंडविड्थ प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं से ही लिए जाने हैं)

542

	प्रस्तावित ओएसपी केन्द्र का पता संबंधी ब्यौरा **छोर क**	इंटरनेट सेवा प्रदाता का ब्यौरा	मौजूदा बैंडविड्थ यदि कोई हो **एक्स**	अनुरोध की गई नई बैंडविड्थ कनेक्टिविटी/अतिरिक्त कनेक्टिविटी **वाई**	कुल बैंडविड्थ (प्राधिकृत सेवा प्रदाता से प्राप्त) **एक्स + वाई**
(i)					

10. क्या यह केन्द्र समान स्थल पर समान कंपनी के अन्य केन्द्रों के साथ समान अवसंरचना की साझेदारी करेगा?	हां/नहीं (यदि हां, तो आवेदन का भाग' ग' विहित प्रपत्र में भरा जाना है। यदि नहीं तो, कृपया घोषणा करे कि समान स्थल पर स्थित अंतरराष्ट्रीय/घरेलू कॉल केन्द्र, यदि कोई हो, समान अवसंरचना की साझेदारी नहीं करेंगे तथा उनमें कोई अतर्संयोजन नहीं होगा)
11. प्रक्रिया शुल्क का ब्यौरा (अनुबंध के अनुसार संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी के लेखाधिकारी के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट)	1000/रू0 प्रति ओएसपी केन्द्र पंजीकरण
संख्या और तारीख	
राशि	
बैंक का नाम जिससे आहरण किया गया	

543

ग. साझेदारी :
(घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केन्द्रों हेतु जिनके अवसंरचना की साझेदारी की जानी है)

ग 1. घरेलू ओएसपी केन्द्र का ब्यौरा जिसके अवसंरचना की साझेदारी की जानी है

अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केन्द्र के स्थान का पता	
(ii) पंजीकरण के लिए आवेदन किया है/पहले से पंजीकृत हैं	आवेदन की तारीख : अथवा घरेलू कॉल सेन्टर की पंजीकरण संख्याः
(iii) सीटों की संख्या	साझाः गैर-साझाः
(iv) ग्राहक का नाम और पता	

ग 2. अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केन्द्र का ब्यौरा जिसके अवसंरचना की साझेदारी की जानी है

अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केन्द्र के स्थान का पता	
(ii) पंजीकरण के लिए आवेदन किया है/पहले से पंजीकृत हैं	आवेदन की तारीख : अथवा घरेलू कॉल सेन्टर की पंजीकरण संख्याः
(iii) सीटों की संख्या	साझाः गैर-साझाः
(iv) ग्राहक का नाम और पता	

ग 3. समान अवसंरचना की साझेदारी के लिए ओएसपी का विकल्प

कृपया समान अवसंरचना की साझेदारी के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें :

(क) विकल्प-1	समान प्रचालक स्थल की साझेदारी करने वाले अंतरराष्ट्रीय और घरेलू ओएसपी केन्द्रों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पृथक और स्वतंत्र ईपीएबीएक्स (50/ लाख रू0 की बैंक गारंटी/ओएसपी केन्द्र के अध्यधीन)
(ख) विकल्प-2	तर्कसंगत विभाजन सहित समान ईपीएबीएक्स की साझेदारी करने वाले अंतरराष्ट्रीय और घरेलू ओएसपी केन्द्र (1 करोड़ रू0 की बैंक गांरटी/ओएसपी केन्द्र के अध्यधीन)

चुने गए विकल्प को चिह्नित करे : विकल्प 1 : [ ]

विकल्प 2 : [ ]

ग 4. विकल्प 2 के मामले में साझा किए जाने वाले प्रस्तावित ईपीएबीएक्स का ब्यौरा

ईपीएबीएक्स की क्षमता विक्रेता का नाम घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर के बीच पोर्टो के तर्कसंगत विभाजन का संरूपण	

घ. विस्तारित एजेन्ट स्थिति का ब्यौरा (वर्क फ्रॉम होम)

एजेन्ट स्थितियों की कुल संख्या	
विस्तारित किए जाने वाले एजेन्ट स्थिति की संख्या	
कनेक्टिविटी का प्रकार और सेवा प्रदाता का नाम	

टिप्पणी :

- 5 करोड़ रू0 की बैंक गांरटी के अध्यधीन विस्तारित एजेन्ट स्थिति की अनुमति है।
- आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन का कोई कॉलम खाली न छूटे। 'लागू नहीं होता' अथवा ' शून्य' यदि हो तो, का उल्लेख करें।
- समुचित कॉलम में 'हॉं' या 'नहीं' चिह्नित करें।
- अपूर्ण/अस्पष्ट प्रस्ताव वाले आवेदनों को बिना किसी सूचना के रद्द कर दिया जाएगा।

घ. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

1. नाम, पदनाम और मुहर सहित **कंपनी सचिव/सांविधिक लेखा परीक्षक/किसी एक निदेशक/पब्लिक नोटरी** द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित और प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

कृपया 'हाँ' या 'नहीं' चिह्नित करें

(क) अनिवार्य दस्तावेज		
संगम ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम	हाँ	नहीं
कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया निगमीकरण प्रमाण पत्र	हाँ	नहीं
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को दिया गया प्राधिकार : (क) निदेशक मंडल का संकल्प अथवा (ख) अनुप्रमाणित हस्ताक्षर सहित हस्ताक्षरकर्ता को प्राधिकार देने वाली विधिवत नोटोराइज्ड मुख्तारनामा	हाँ हाँ	नहीं नहीं
(ख) वैकल्पिक दस्तावेज (यदि यह (क) से भिन्न है तो इसे प्रस्तुत किया जाना है)		
नाम और पते सहित कंपनी के वर्तमान निदेशकों की सूची	हाँ	नहीं
कंपनी की वर्तमान शेयर होल्डिंग पद्धति (भारतीय इक्विटी और विदेशी इक्विटी का उल्लेख करते हुए)	हाँ	नहीं
(ग) अवसंरचना की साझेदारी/वर्क फ्रॉम होम के लिए अपेक्षित दस्तावेज		
मद ग 3 के विकल्प 2 के मामले में साझा किए जा रहे ईपीएबीएक्स में तर्कपूर्ण विभाजन के लिए विक्रेता प्रमाण पत्र	हाँ	नहीं
यह वचन पत्र कि करार पर हस्ताक्षर करते समय विहित आरूप में 50 लाख रू0 की बैंक गांरटी प्रस्तुत कर दी जाएगी (मद ग 3 के विकल्प-1 के मामले में)	हाँ	नहीं
यह वचन पत्र कि करार पर हस्ताक्षर करते समय विहित आरूप में एक करोड रू0 की बैंक गांरटी प्रस्तुत कर दी जाएगी (मद ग 3 के विकल्प-2 के मामले में)	हाँ	नहीं
यह वचन पत्र कि करार पर हस्ताक्षर करते समय विहित आरूप में 5 करोड़ रू0 की बैंक गांरटी प्रस्तुत कर दी जाएगी (मद घ के अनुसार वर्क फ्रॉम होम के विकल्प के मामले में)	हाँ	नहीं
(घ) प्रक्रिया शुल्क (प्रत्येक ओएसपी केन्द्र के लिए 1000/-रू0 का डिमांड ड्राफ्ट)	हाँ	नहीं

ड.	**घोषणा**

1. मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि मैंने/हमने अन्य सेवा प्रदाता श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण हेतु दिशानिर्देशों/निबंधन और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और मैं/हम इसमें उल्लिखित निबंधन और शर्तों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं।
2. मैं/हम यह समझता हूँ/समझते हैं कि यह आवेदन किसी भी संबंध में अपूर्ण पाया जाता है और/या सशर्त अनुपालना का पता चलता है तो इस आवेदन को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।
3. मैं/हम यह समझता हूँ/समझते है कि प्रक्रिया शुल्क अप्रतिदेय है और इसके लिए प्रस्ताव के पंजीकृत होने या न होने को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।
4. मैं/हम यह समझता हूँ/समझते हैं कि यदि पंजीकरण कराने के लिए इसमें दिया गया कोई प्रमाण या किसी सूचना को किसी भी समय गलत पाया जाता है तो मेरे आवेदन और पंजीकरण यदि ऐसे आवेदन के आधार पर प्रदान किया गया हो, को निरस्त मान लिया जाएगा।

तारीख
स्थान

कंपनी की मुहर सहित
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
का नाम और हस्ताक्षर

टिप्पणी : - पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन को दूरसंचार विभाग की क्षेत्रीय इकाइयों को प्रस्तुत किए जाए जिनके क्षेत्र के अंतर्गत ओएसपी केन्द्र आते हों। (ब्यौरा अनुबंध के अनुसार)

पदनामित प्राधिकारी : उपमहानिदेशक/वीटीएम के प्रमुख........................ (वीटीएम सेल का नाम)				सीसीए(....) के कार्यालय में सीएओ के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट आहरित किया जाना है
क्र0सं	वीटीएम सेल	पता	सर्किल/क्षेत्राधिकार	सीसीए
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1.	अहमदाबाद	प्रथम तल, पी एंड टी प्रशासनिक बिल्डिंग, खानपुर, अहमदाबाद-380001	अहमदाबाद	गुजरात
2.	अंडमान और निकोबार	डीटीओ बिल्डिंग, प्रथम तल, बंगाली क्लब रोड, प्रधान डाक घर के पास, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार-744101	अंडमान और निकोबार	अंडमान और निकोबार
3.	आंध्र प्रदेश	डी-II, टेलीकॉम ऑफीसर कॉम्पलेक्स टिक्केल रोड, मोगलराजपुरम, विजयवाड़ा-520010(आंध्र प्रदेश)	हैदराबाद को छोड़कर आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश
4.	असम	गुवाहाटी(361) पांचवा तल, सीजीएमटी का कार्यालय, बीएसएनल, असम, पान बाजार, गुवाहाटी-381001	असम	असम
5.	बेंगलुरू	द्वितीय तल, एमिनिटी ब्लॉक, पैलेस रोड, बेंगलुरू 560001 बेंगलुरू	बेंगलुरू	कर्नाटक
6.	बिहार	सातवां तल, टेलीफोन भवन आर ब्लॉक, पटना-800001	बिहार	बिहार
7.	चेन्नै	तृतीय तल, केलीज टैलीफोन एक्सचेंज, 22 केलीजरोड़, चेन्नै-1	चेन्नै मैट्रो एंड पांडिचेरी	तमिलनाडु
8.	छत्तीसगढ़	कमरा सं0 108 दूरसंचार भवन, जी ई रोड, रायपुर-492001	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़
9.	दिल्ली	5/6वां तल, एमटीएनएल टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19	गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुडगांव सहित दिल्ली	दिल्ली
10.	गुजरात	प्रथम तल,पी एंड टी प्रशासनिक बिल्डिंग, खानपुर, अहमदाबाद-380001	अहमदाबाद को छोड़कर गुजरात	गुजरात
11.	हरियाणा	कमरा सं0 302, तीसरा तल सीजीएमटी, बीएसएनएल हरियाणा ऑफिस बिल्डिंग, 101 दी मॉल, अंबाला-138001	हरियाणा	हरियाणा
12.	हिमाचल प्रदेश	हरि निवास, खालिनी, शिमला, हिमाचल प्रदेश-171002	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
13.	हैदराबाद	104, टीईसी कॉम्पलैक्स, चेरलापल्ली, हैदराबाद-51	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
14.	जयपुर	टीई बिल्डिंग, सेक्टर-5 विधाधर नगर, सीकर रोड, जयपुर-23	जयपुर	राजस्थान
15.	जम्मू और कश्मीर	4वां तल, टेकनिकल बलॅक, टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, त्रिकूट नगर, रेल हेड कॉम्पलेक्स, जम्मू	जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर
16.	झारखंड	कमरा सं0 बी-202 एआरटीटीसी, बीएसएनएल जूमर नदी के पास हजीराबाग रोड, रांची-835217	झारखंड	झारखंड